एक नजर में

विवादित ढांचा विध्वंस की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख जस्टिस लिब्रहान का निधन

चंडीगढ़ : अयोध्या स्थित विवादित ढांचा विध्वंस की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख, न्यायमूर्ति एमएस लिब्रहान का चंडीगढ़ में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तीन अगस्त को उनके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया गया। न्यायमूर्ति लिब्रहान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। उनका जन्म 11 नवंबर, 1938 को चंडीगढ़ के पास हुआ था। उन्होंने अपनी वकालत अंबाला से शुरू की। जस्टिस लिब्रहान छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में आयोग के प्रमुख बने और लगभग 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। (जासं)

पंजाब उद्योग भवन में ईडी की रेड, अधिकारियों की अटकी सांसें

चंडीगढ़ : ईडी ने मंगलवार को सेक्टर-17 स्थित पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (पीएसआइईसी), उद्योग भवन के मुख्यालय में दबिश दी। ईडी की यह कार्रवाई पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की ओर से कथित औद्योगिक प्लाट घोटाले को लेकर की जा रही है। जांच एजेंसी का फोकस कथित अनियमित तरीके से औद्योगिक प्लाट के हस्तांतरण और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम मंगलवार सुबह पीएसआइईसी कार्यालय पहुंची और मामले से जुड़े दस्तावेज, फाइलें तथा अन्य रिकार्ड कब्जे में लेकर उनकी जांच की। देर शाम तक तलाशी अभियान जारी रहा। (राब्यू)

केरलम में भारी बारिश का कहर, 25 मरे, 4 लापता

तिरुअनंतपुरम : केरलम में एक अगस्त से जारी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहां अनवरत बरसात ने 25 लोगों की जान ले ली है, चार लापता हैं और 10 घायल हुए हैं। बरसात और भूस्खलन से सैकड़ों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केरलम सरकार ने बताया कि एक अगस्त से चार अगस्त के बीच 52 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए और 565 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। राज्यभर में 400 से अधिक राहत शिविरों में 18,000 से अधिक लोगों को स्थानांतरित किया गया। (प्रेट्र)

जयपुर में बुजुर्ग को मिला 18 करोड़ का बिल, सदमे में पहुंचे अस्पताल

जयपुर : जयपुर के लूनियावास गांव में विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों की एक लापरवाही से 80 वर्षीय बुजुर्ग की जान पर बन आई। बुजुर्ग छीतरमल का बिजली का बिल 18 करोड़ 51 लाख रुपये से अधिक का बिजली मित्र ऐप पर बकाया दिखाया गया, जबकि वास्तविक रूप से बिल छह हजार 573 रुपये का था। ऐप पर 18 करोड़ 51 लाख रुपये का बिल देखकर बुजुर्ग बेहोश हो गए, स्वजन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। एक दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वे घर पहुंचे तो अब बिजली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। (जासं)

असम में सीआरपीएफ कर्मी ने दो जवानों की हत्या कर खुद को भी गोली मारी

नगांव, आइएएनएस : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने असम के नगांव जिले में स्थित सीआरपीएफ कैंप के अंदर गोलीबारी करके दो सीआरपीएफ कर्मियों की हत्या कर दी और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद इस सीआरपीएफ जवान ने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। पुलिस इस मामले की जांच सीआरपीएफ के साथ मिलकर कर रही है। हालांकि इस हत्याकांड की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कटिमारी स्थित 34 बटालियन सीआरपीएफ कैंप में हुई, जिससे उच्च सुरक्षा वाले परिसर में अफरा-तफरी मच गई है।

नगांव के उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) परमिता सरकार ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग सात बजे कटिमारी स्थित 34 बटालियन कैंप में हुई, जब मुख्य गेट पर ड्यूटी के दौरान एएसआइ/जीडी बल्लानी प्रेमबरम ने अपने सहयोगियों पर गोली चलाई। डीएसपी ने बताया कि उन्होंने बाद में खुद को भी गोली मार ली। उन्हें घटनास्थल पर मृत पाया गया। डीएसपी सरकार ने कहा,"दो कर्मी, एचवी/जीडी विष्णु प्रसाद बागेल और एसआइ/जीडी रामनवाल सिंह यादव घटनास्थल पर ही मारे गए।" एक अन्य सीआरपीएफ कर्मी एएसआइ/माने गोविंद श्रीपुल इस घटना में घायल हो गए और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

शाह का 'आपरेशन त्रिशूल' अपराधियों का विदेश में छिपना आसान नहीं, 274 वापस लाए गए

- सेटेलाइट और डिजिटल फुटप्रिंट के सहारे छिपकर रहे भगोड़ों की जा रही है पहचान
- भगोड़ों को वापस लाने में पहले की सरकार में थी इच्छा शक्ति का अभाव

अमित शाह • जागरण आर्काइव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश छोड़कर भाग गए अपराधियों के लिए अब विदेशी धरती भी सुरक्षित नहीं रही। नाम बदलकर व चेहरा छिपाकर रह रहे 274 भगोड़े अपराधियों को पिछले सात वर्षों में 36 देशों से भारत लाया जा चुका है। 'आपरेशन त्रिशूल' के तहत नाम और पहचान छिपाकर रह रहे इन अपराधियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सेटेलाइट और डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग किया जा रहा है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, "पुराने दिन गए, जब सिस्टम की खामियों का लाभ उठाकर अपराधी बच निकलते थे। नया भारत नए कानून, नई संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से सिस्टम की सभी खामियों को भर रहा है ताकि सुरक्षा तंत्र को अभेद्य बनाया जा सके।"

गृह मंत्रालय के अनुसार, बात सिर्फ भगोड़े अपराधियों को वापस लाने तक सीमित नहीं है। देश के भीतर भी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। 2019 से 2026 के बीच ऐसे अपराधियों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसी बीच अपराधियों से पीड़ित लोगों को 18,762 करोड़ रुपये लौटाने का काम भी किया गया है, जिनमें देश छोड़कर भागे आर्थिक अपराधियों का पैसा भी शामिल है।

भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए देश के भीतर और बाहर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। इसके तहत भारत में इंटरपोल के रूप में काम करने वाली सीबीआइ को सभी राज्यों के पुलिस मुख्यालय के साथ-साथ जिला पुलिस मुख्यालय से भी जोड़ा गया है। "भारतपोल" नामक इस प्लेटफार्म पर भगोड़े अपराधियों के बारे में तेजी से सूचनाओं और जरूरी दस्तावेजों का आदान-प्रदान हो रहा है। देशभर की विभिन्न एजेंसियों की 1400 से अधिक यूनिट इस पोर्टल से जुड़े हुई हैं। अमित शाह ने पिछले वर्ष जनवरी में इसको लांच किया था। भारतपोल पर आ रही सूचनाओं को इंटरपोल के माध्यम से विभिन्न देशों की एजेंसियों के बीच साझा किया जा रहा है, जिससे भगोड़े अपराधियों की पहचान के साथ-साथ उन्हें वापस लाने में मदद मिल रही है।

अमित शाह के दिशानिर्देश में एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ ही कानून में जरूरी बदलाव कर भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। इसके तहत भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में नई धारा जोड़कर "ट्रायल इन एब्सेन्शिया" (अनुपस्थिति में केस की सुनवाई) का प्रविधान किया गया है। इससे भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध अदालत में ट्रायल शुरू किया जा सका है। शाह ने कहा कि भगोड़े अपराधियों को वापस लाने को लेकर पहले की सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था, वहीं मोदी सरकार में भगोड़ों का प्रत्यर्पण राष्ट्रीय प्राथमिकता है। भगोड़े अपराधियों को वापस लाने के लिए खुफिया जानकारियों और प्रौद्योगिकी आधारित माडल भी तैयार किया गया है।

गृह मंत्रालय ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निर्देशन में अब प्रत्यर्पण के अनुरोध अधिक पेशेवर और मानक के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिस देश से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसकी दस्तावेजी जरूरतों व कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिखित आश्वासन भी दिए जाते हैं।" प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों के विरुद्ध त्रिस्तरीय रणनीति पर जोर दिया है- वैश्विक स्तर पर संपर्क, मजबूत तालमेल और स्मार्ट कूटनीति। सरकारी बयान के अनुसार, पिछले सात वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 40 अपराधियों को भारत वापस लाया गया, जो 2004-2013 की तुलना में 10 गुना है।

संसद का मानसून सत्र समय से पहले खत्म करने की अटकलें

विपक्ष के हंगामे के बीच ही अपने विधायी कार्य निपटाने में जुटी है सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : न विरोध एवं हंगामे की बौछार थमी और न ही संसद में सरकार का कामकाज। छात्र आंदोलन के साये में गतिरोध के साथ शुरू हुआ मानसून सत्र अभी तक पूरी तरह पटरी पर नहीं आ सका है। लेकिन कैसे भी विधायी कार्य निपटाने के लिए कमर कस चुकी सरकार हंगामे एवं शोरशराबे के बीच ही अब तक तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित करा चुकी है। मंगलवार को जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक पर भी संसद की मुहर लग गई। अब लगभग आठ विधेयक चर्चा के लिए लोकसभा और राज्यसभा से पारित किए जाने हैं। इधर, विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। इससे बने गतिरोध को देखते हुए अटकलें हैं कि सरकार अपने विधेयकों को पारित कराने के बाद मानसून सत्र को समय से पहले खत्म करने का कदम उठा सकती है।

मानसून सत्र का पहला सप्ताह पेपर लीक पर विपक्ष के तीखे तेवर और हंगामे के कारण पूरी तरह धुल गया। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने सदन को पटरी पर लाने के लिए पेपर लीक में सुधार के दावे के साथ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 लेकर आई। विपक्ष इस पर चर्चा के लिए राजी हुआ, लेकिन तीखे सवालों की बौछार और हंगामा जारी रहा। इसके बीच ही यह विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया। इसके बाद हंगामा, नारेबाजी, आंशिक स्थगन के बीच ही वंदे मारतम के अपमान पर सजा निर्धारित करने वाला राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2026 दोनों सदनों से पारित हुआ। वहीं, लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा से भी जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक-2026 पारित हो गया। अब अधिसूचना जारी होने के बाद जैसे ही यह विधेयक कानून का स्वरूप लेगा, वैसे ही देश में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सख्त हो जाएगी। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष के भीतर कराना होगा। एक से दो वर्ष की अवधि में पंजीकरण के लिए डीएम, एसडीएम या अधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी, जबकि दो वर्ष की अवधि बीतने के बाद पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य होगी। इस कदम को बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र आदि बनवाने की रोकथाम के अहम निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक-2026 और विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2026 लोकसभा से पारित हो चुके हैं, जबकि राज्यसभा में पेश किए जाने हैं। जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक-2026 राज्यसभा से पास हो चुका है और लोकसभा में पेश किया जाना है।

चढ़ावा चोरी और छात्रों से बर्बरता के मुद्दे पर संसद में हो चर्चा : खरगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद में जारी गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों के साथ हुई पुलिस बर्बरता के सवालों को दरकिनार नहीं कर सकते। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन के बाहर व भीतर इन मुद्दों पर चर्चा और प्रधानमंत्री से इन पर जवाब देने की मांग की। खरगे ने मंगलवार सुबह राज्यसभा में कहा कि श्रीराम मंदिर में बहुमूल्य भेंटों, नकद दान, जमीन की खरीद-फरोख्त और प्रबंधन को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। यह विषय देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में की थी। केंद्र सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी है और प्रधानमंत्री भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर प्रमुख समारोह में शामिल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री चढ़ावा चोरी समेत अन्य गंभीर आरोपों पर जवाबदेही से बच नहीं सकते।

मोदी सरकार के 12 सालों में 17 करोड़ युवाओं को मिला रोजगार

- मंगल मिलन बैठक में एनसीपीआइ के तीन सांसदों की अनुपस्थिति पर लग रहे कयास
- राजग की बैठक में खेल और रोजगार पर उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन

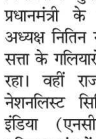
नरेन्द्र मोदी • जागरण आर्काइव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राजग सांसदों की "मंगल मिलन" बैठक में खेल व युवा कल्याण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार के 12 सालों में 17.10 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का दावा किया। मंत्री ने मोदी सरकार के दौरान खेलों के साथ-साथ रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धियों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। बांकीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री के बगल में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बैठना भी सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय रहा। वहीं राजग की बैठक में नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी आफ इंडिया (एनसीपीआइ) के तीन मुस्लिम सांसदों की अनुपस्थिति को तृणमूल कांग्रेस से टूटकर अलग हुए धड़े में फूट की आशंका से जोड़कर देखा गया।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बैठक के बारे में कहा कि खेल मंत्री ने खेलों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्री ने बताया कि 2014 में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई खेल नीति के कारण भारत अब ओलिंपिक, एशियाई र राष्ट्रमंडल खेलों जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में स्वर्ण पदकों समेत कई पदक जीत रहा है।

तिवारी ने कहा कि रोजगार के अवसरों पर भी प्रस्तुति दी गई और सांसदों को बताया गया कि युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर लगातार बढ़े हैं। उन्होंने कहा- "हमें मंगल मिलन में बताया गया कि 2004 से 2014 तक, जब संप्रग सरकार सत्ता में थी, केवल 2.89 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली, जबकि 2014 से 2026 के बीच कुल 17.1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला"। भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी बैठक में प्रस्तुति दी गई। बैठक में जदयू, जेडीएस, एनसीपी, शिवसेना के साथ राजग के अन्य सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए।

पहली बार राजग की बैठक में शामिल हुए एनसीपीआइ के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने पार्टी में फूट की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा- "मैं देश के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हूं। एनसीपीआइ में सभी एकजुट हैं। यह एक अच्छा अनुभव है"।

गुटखा देने में देरी से भड़के हवलदार ने दुकानदार को मारी गोली

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : गुटखा देने में देरी होने पर हुए विवाद के बाद भड़के आइटीबीपी के हवलदार ने लाइसेंसी पिस्टल से दुकानदार को गोली मार दी। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पिस्टल भी जब्त की गई है।

पुलिस के मुताबिक, आइटीबीपी में हवलदार सुरेंद्र सिंह की तैनाती रायबरेली में है। वह 12 जुलाई को अवकाश पर आया था। सोमवार रात पड़ोसी उदय प्रताप की दुकान पर गुटखा लेने पहुंचा। ग्राहकों की भीड़ होने से दुकानदार को गुटखा देने में कुछ देरी हो गई। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इससे भड़के सुरेंद्र ने लाइसेंसी पिस्टल से दुकानदार पर दो गोली चला दी। एक गोली उसके पेट को छूते हुए, जबकि दूसरी आरपार हो गई।

ईडी ने जब्त की अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी कर बनाई 187 करोड़ की संपत्ति

जासं, जालंधर : ईडी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने साइबर ठगी और मनी लांड्रिंग नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 187.13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के अनुसार, यह संपत्ति अवैध काल सेंटर के जरिये विदेशी, विशेषकर अमेरिकी नागरिकों के साथ आनलाइन ठगी कर बनाई गई थी। जब्त की गई संपत्तियों में हरियाणा, दिल्ली और गोवा में स्थित फ्लैट, विला, फार्महाउस भी शामिल हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है। ईडी ने यह कार्रवाई अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआइ द्वारा साझा की गई जानकारी और सीबीआइ की ओर से वर्ष 2023 में दर्ज एफआइआर के आधार पर शुरू की थी। आरोप है कि साइबर गिरोह ने अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी सहायता और सरकारी एजेंसियों के नाम पर झांसा देकर लाखों डालर की ठगी की थी। जांच में सामने आया है कि जालंधर में डिजीकम्प्स-द फ्यूचर आफ डिजिटल नाम से अवैध काल सेंटर संचालित किया जा रहा था। इसमें 36 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें जिगर अहमद, यश खुराना, इंदरजीत भाली और निखिल शामिल थे जो जानी, दक्षय सेठी और गौरव वर्मा की देखरेख में विदेशी नागरिकों को तकनीकी सहायता देने का झांसा देते थे।

जंतर मंतर पर करने गए थे आतंकी वारदात, पंजाब में पेट्रोल बम के साथ चार नाबालिग समेत नौ पकड़े

आरोपितों से बरामद किए पेट्रोल बम, पिस्तौल और कारतूस • सौ. पुलिस

जागरण संवाददाता, अमृतसर : पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले दो गिरोह का राजफाश कर चार नाबालिगों सहित नौ लोगों को पकड़ा है। एक गिरोह के आरोपित ने स्वीकार किया है कि वह जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरने में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए अपने आठ साथियों के साथ दिल्ली भी जा चुका है। वे पाकिस्तानी हैंडलर के माध्यम से उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति से भी मिले थे, जिसने उन्हें हथियार व विस्फोटक मुहैया करवाने थे। वहां सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के कारण वे वारदात नहीं कर पाए और वापस आ गए। बता दें कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पहले भी केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि यहां बड़ी वारदात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संबंध में टिप्पणियां की थीं।

सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि एक गिरोह में तीन नाबालिगों सहित चार और दूसरे गिरोह में एक नाबालिग समेत पांच लोगों को पकड़ा गया है। सूचना के आधार पर राजासांसी निवासी सुखमन सिंह और उसके तीन नाबालिग साथियों को काबू किया गया। उनसे चार बोतल बम, दो पिस्तौल, लाइटर और नौ कारतूस बरामद किए गए। सुखमन ने माना कि वह पाकिस्तान में बैठे आइएसआइ हैंडलर के संपर्क में था और वहां से उसे जंतर मंतर पर वारदात करने का टास्क मिला था। वह आठ साथियों के साथ वहां गया भी था, लेकिन षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाया। वह पंजाब में पुलिस इमारतों की रेकी कर रहे थे।

दूसरे गिरोह के आरोपितों ने रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर फुटेज आइएसआइ तक पहुंचाई थी। आरोपितों की पहचान अमृतसर के मोहकमपुरा निवासी वंश कुमार, राजासांसी निवासी हरमन सिंह व सुखदेव सिंह, गांव जोध निवासी सुखमन और एक नाबालिग के रूप में हुई। बीते माह जौड़ा फाटक के पास रेल ट्रैक के पोल पर मिले कैमरे की जांच के दौरान पहले वंश और उसके नाबालिग दोस्त को पकड़ गया। उनसे एक पिस्तौल, सीसीटीवी कैमरे, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने साथियों के साथ मिलकर कैमरा लगाया था, जिसके सहारे पाकिस्तान में फुटेज भेजी गई थी। सैन्य इलाकों की संवेदनशील जानकारियां भी बाहर भेज रहे थे।

पैदल मार्च में पीएम आवास जा रहे केजरीवाल आप मुख्यालय के पास ही रोके गए

फिरोजशाह रोड पर पुलिस अधकारी से बहस करते आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। साथ में हैं राज्य सभा सदस्य संजय सिंह व अन्य कार्यकर्ता • जागरण

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: ई-20 पेट्रोल के विरोध में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को करीब 100 समर्थकों व ई-20 से कथित रूप से प्रभावित वाहन मालिकों के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर पैदल मार्च पर निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें आप मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल 2.33 लाख से अधिक हस्ताक्षरों वाली याचिकाओं को लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने याचिकाओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने की बात कही, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका से एथनाल आयात के दबाव में ई-20 नीति लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार खुद संसद में ई-20 से माइलेज घटने और कुछ इंजन पुर्जों पर असर पड़ने की बात स्वीकार कर चुकी है, फिर भी इसे लागू रखा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार ने ई-20 पेट्रोल वापस नहीं लिया तो जंतर-मंतर पर पेपरलीक के विरोध में हुए आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा।

मेटा के समक्ष सरकार उठाएगी सीएसएएम में चूक और गलत कार्रवाई का मुद्दा : आइटी सचिव

नई दिल्ली, प्रेट्र : फेसबुक, वाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा की वैश्विक टीम पांच और छह अगस्त को भारत में होगी। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने मंगलवार को बताया कि मेटा की टीम से मुलाकात में सरकार बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (सीएसएएम) पर रोक लगाने में चूक और जाने-माने अकाउंट पर गलत कार्रवाई जैसी चिंताओं को उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अग्रणी तकनीकी कंपनी को अपना सिस्टम इस तरह बनाना चाहिए था, जैसी उससे अपेक्षा की जाती है।

NIFTEM
MOFPI
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली
(राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
विज्ञापन संख्या : N/HR&/H/2024/18 दिनांक : 05.08.2026
भर्ती सूचना
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली (निफ्टेम-के) निम्नलिखित समूह-'क' के पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर खुली चयन प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है :

क्रम सं.	पद	भर्ती का प्रकार	पदों की संख्या	7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर	अधिकतम आयु (वर्षों में)	सेवा अवधि	अधिवर्षिता (सेवानिवृत्ति) आयु
1	कुलसचिव	प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार	01 (अनारक्षित)	लेवल-14 (₹1,44,200-2,18,200)	57 वर्ष	05 वर्ष	62 वर्ष
2	उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	प्रतिनियुक्ति आधार	01 (अनारक्षित)	लेवल-12 (₹78,800-2,09,200)	56 वर्ष	05 वर्ष	60 वर्ष

आयु तथा शैक्षणिक योग्यता की गणना ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 20.09.2026 आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा सामान्य निर्देशों आदि के विस्तृत विवरण के लिए **www.niftem.ac.in** देखें। ऑनलाइन आवेदन जमा करने हेतु लिंक : **https://niftemnt.samarth.edu.in**
नोट : जिन अभ्यर्थियों ने वेब अधिसूचना N/HR&/H/2024/18/25.06.2026 के अंतर्गत पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
कुलसचिव

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
नवरत्न सीपीएसई A NAVRATNA CPSE
CIN No. L40101HP1988GOI008409
नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन
प्रेस सूचना / ई-निविदा संख्या पीसीडी - 2983 (सिविल)/2026
एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से "नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन के पॉट हेड यार्ड में टॉयलेट, कंक्रीट पेवर्स, प्रवेश द्वार का नवीनीकरण, पॉट हेड यार्ड बिल्डिंग की पेंटिंग, टॉयलेट का निर्माण और स्विच यार्ड एरिया में एग्रीगेट की आपूर्ति एवं उसे बिछाने का कार्य पीसीडी-2983 (सिविल)/2026" हेतु घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली (डीसीबी) पर ऑनलाइन बोलियां (ई-निविदा) आमंत्रित की जाती हैं।
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड करने की अंतिम तिथि **26.08.2026 (12:00 बजे)** है।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि **27.08.2026 (13:00 बजे)** है।
एनआईटी से संबंधित विस्तृत जानकारी और संभावित सभी संशोधनों/शुद्धिपत्रों के लिए कृपया https://etender.sjvn.co.in, www.sjvn.nic.in और www.eprocure.gov.in वेबसाइट देखें। अन्य सभी निबन्धन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
कृते एवं हिते एसजेवीएन लिमिटेड
उप महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष (प्रापण एवं संविदा विभाग),
एनजेएचपीएस, एसजेवीएन लिमिटेड, झाकड़ी, जिला शिमला, हि. प्र. - 172201

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
JAWAHARLAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION & RESEARCH
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
(An Institution of National Importance under Ministry of Health & Family Welfare)
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA, धन्वंतरि नगर, पुदुच्चेरी/Dhanvantari Nagar, Puducherry- 605 006
वेबसाइट/Website: www.jipmer.edu.in दूरभाष/Phone: 0413-2296022
सं. जिपप्रशा-1भर्ती03(1)/1/2026 दिनांक: 03.08.2026
जिपमेर के निदेशक द्वारा **प्रतिनियुक्ति के आधार पर** जिपमेर, पुदुच्चेरी और जिपमेर, कारैक्काल में नीचे उल्लिखित विभिन्न वर्ग 'क' और 'ख' पदों को भरने के लिए केंद्र/राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार/सांविधिक/स्वायत्त निकायों/सरकारी विश्वविद्यालयों/सरकारी अनुसंधान और विकास संगठनों आदि के पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

जिपमेर, पुदुच्चेरी

क्रम सं.	पद का नाम	वेतन स्तर (सातवें सी.पी.सी.)	रिक्ति
1	परीक्षा नियंत्रक	स्तर - 12	1
2	पंजीयक	स्तर - 12	1
3	सिस्टम विश्लेषक	स्तर - 11	2
4	कंप्यूटर प्रोग्रॉमर	स्तर - 10	2
5	क्रय अधिकारी	स्तर - 10	1
6	डेटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड-ए	स्तर - 7	1
7	सहायक पंजीयक	स्तर - 7	1

जिपमेर, कारैक्काल

क्रम सं.	पद का नाम	वेतन स्तर (सातवें सी.पी.सी.)	रिक्ति
8	पंजीयक	स्तर - 12	1
9	सहायक परीक्षा नियंत्रक	स्तर - 10	1
10	कंप्यूटर प्रोग्रॉमर	स्तर - 10	1
11	लेखा अधिकारी	स्तर - 9	1
12	सहायक पंजीयक	स्तर - 7	2

उपरोक्त पदों के लिए आवेदन का प्रारूप, वेतनमान, आयु, अर्हता, अनुभव और पात्रता की अन्य शर्तें आदि से संबंधित अन्य विवरण जिपमेर वेबसाइट **www.jipmer.edu.in** पर उपलब्ध है।
भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख **21.09.2026 (सोमवार), शाम 4:30 बजे तक है।**
निदेशक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला:-
प्रथम तल, डोगरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स (संकेत हाईट्स), समीप सेब मंडी, भट्टाकुफर, संजो